राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर ।

क्रमांक– ई–11 / नर्स–2 / पोबीएससी / 11 / 2062 दिनांक–30.9.2011

आदेश

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा सत्र 2011–12 में दो वर्षीय पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग प्रशिक्षण करने हेतु निम्नांकित नर्स–2, का चयन प्रतीक्षा सूची में से किया गया है, इन्हें दिनांक– 30.09.11 तक अपनी उपस्थिति कॉलेज आफॅ नर्सिंग, जयपुर में प्रस्तुत करनी है। इन कर्मियों के आवेदन निम्न शर्तों पर अग्रेषित किये गये थे–

1. नियमानुसार स्वयं का अवकाश स्वीकृत कराना होगा।
2. प्रशिक्षण हेतु राज्य सरकार / विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का वित्तीय भार वहन नहीं किया जायेगा।
3. प्रशिक्षण समाप्त होने पर कार्मिक तुरंत विभाग में अपनी उपस्थिति देगा, अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
4. प्रशिक्षण उपरांत कार्मिक किसी प्रकार की पदोन्नति / वित्तीय लाभ अथवा उच्च वेतनमान की मांग नहीं करेंगे।
5. राजस्थान सेवा नियमों में उल्लेखित प्रावधानों की पूर्ण पालना की जायेगी।
6. नियमानुसार बन्ध पत्र प्रस्तुत करेंगे।

क्र. सं.	नाम कर्मचारी	पदस्थापन स्थान
1	धर्मराज रोलानिया	सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर
2	सुनीता चौधरी	पीबीएम चिकित्सालय बीकानेर
3	मीनू कुमारी	जनाना अस्पताल झुंझुन
4	शीला कुमारी मीना	पीएमओ बारां
5	शाहना शमीम	सीएचसी पीसांगन, अजमेर

अतः सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे कार्मिक द्वारा उक्त शर्तों के अध्यधीन प्रशिक्षण के लिये कार्यमुक्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुंत करने पर प्रशिक्षण हेतु कार्यमुक्त कर निदेशालय को अवगत करावें।

नोटः– यदि कोई कार्मिक प्रोबेशन अवधि में है तो उसे प्रशिक्षण हेतु कार्यमुक्त नहीं किया जावे।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

क्रमांक– ई–11 / नर्स–2 / पोबीएससी / 11 / 2062 दिनांक–30.9.2011

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संयोजक, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयं, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक 9869 दिनांक 30.9.11 के संदर्भ में प्रेषित कर लेख है कि इन कर्मियों के प्रशिक्षण में कार्यग्रहण करने की तिथि बढाने का श्रम करें।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जयपुर / बीकानेर / कोटा / अजमेर।
3. प्रधानाचार्य, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जयपुर।.
4. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
5. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
6. सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी
7. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि आदेश विभागीय वैब साईट पर प्रकाशित करने का श्रम करें।
8. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
9. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर